फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

सोहन लाल बनाम उपखण्ड अधिकारी उत्तर व अन्य

केस संख्या 198/2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
09.10.2023	दरख्वास्तुगुजार ने उपखण्ड अधिकारी उत्तर जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 170/2019 व अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 62/2019 व उनवानी बिहारी शंकर व अन्य बनाम दिनेश व अन्य में पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है । उपखण्ड अधिकारी उत्तर जिला जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब हो । प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो । नोटिस विपक्षीगण के रजिस्टर्ड जारी हो पत्रावली दिनाक 30.10.2023 को पेश हो। जिला कलक्टर जयपुर	
08.01.2024	दिनांक 31.10.2023 को विधानसभा आम चुनाव 2023 में व्यस्त रहने से जनरल तारीख दिये जाने से पत्रावली आज पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) के पद पर श्री हवाई सिंह यादव आर.ए.एस. का पदस्थापन हो गया है। प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया । उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) के पीठासीन अधिकारी पद पर श्री हवाई सिंह यादव आर.ए.एस. का पदस्थापन हो गया है। इसलिए लिंक पीठासीन अधिकारी श्रीमती मुक्ता राव के विरूद्व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शुन्य (Infructuous) हो गया है। फलस्वरूप प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।	

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner